



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431 Web- http://govt.ua.nic.in/pwd E-Mail-cepwdua@gmail.com

दिनांक 02/07/2020

पत्रसंख्या-1326 / 82व्यक-सा0/2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

शासकीय पत्रसंख्या-829/111(1)/20-01(14)/अधि0/14 दिनांक-22.06.2020 के माध्यम से प्राप्त मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या-51/XXX(21)/2020/55(21)/2001 दिनांक 05.05.2020 द्वारा उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवा संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर सरकारी सेवकों के अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके अन्तर्गत नियुक्ति प्राधिकारी स्तर पर स्कीनिंग कमेटी गठित करते हुये स्कीनिंग कमेटी की कार्यवाही प्रतिवर्ष माह-नवम्बर तक सम्पन्न कराने एवं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष 15 जनवरी तक अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश पारित करते हुये अनिवार्य सेवानिवृत्ति सम्बन्धी निर्णयों की सूचना शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

शासन द्वारा उपरोक्त दिये गये निर्देशों के अनुपालन में 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके ऐसे कार्मिक जिनके नियुक्ति अधिकारी राज्यपाल हैं, (सहायक अभियन्ता इत्यादि से मुख्य अभियन्ता स्तर तक) के अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में स्कीनिंग कमेटी शासन स्तर पर गठित की जानी है उक्त स्कीनिंग कमेटी के समक्ष ऐसे प्रकरणों को प्रस्तुत करने से पूर्व समीक्षा किये जाने हेतु विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर पर निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है:-

01. मुख्य अभियन्ता स्तर-I, विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून।
02. मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून।
03. वरिष्ठ स्टॉफ अफिसर-प्रथम (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून।
04. अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून।

अध्यक्ष

सदस्य,

सदस्य

सदस्य/संयोजक

EB

(हरिओम शर्मा)

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02. मुख्य अभियन्ता स्तर-I, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
03. मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान), लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
04. समस्त मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग को शासकीय पत्र दिनांक-22.06.2020 की तत्संलग्न शासनादेश दिनांक-05.05.2020 की प्रति संलग्न कर कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिन कार्मिकों के नियुक्ति प्राधिकारी उत्तराखण्ड शासन हैं, के संबंध में ऐसे कार्मिक जिनकी आयु 50 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में शासनादेश में उल्लिखित मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप अपनी सुविचारित आख्या स्पष्ट मन्तव्य सहित संलग्न निर्धारित प्रारूपों में इस कार्यालय के सम्बन्धित वर्ग (यथा:-व्यवस्थापन-क वर्ग समूह-क/ख) के अनुसार संकलित सूचना संलग्न प्रारूपों (प्रारूप-01 से 04 तक) में सम्बन्धित वर्गों को पृथक-पृथक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संलग्न-यथोपरि।
05. वरिष्ठ स्टॉफ अफिसर-प्रथम (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
06. अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
07. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित। संलग्न-यथोपरि।
08. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0 सैल), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को शासकीय पत्र दिनांक-22.06.2020 की प्रति मय संलग्नकों के संलग्न करते हुये निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत ज्ञाप एवं शासनादेश व संलग्नकों को तथा प्रारूप-01 से 04 तक को लोक निर्माण विभाग की वेबसाईड पर अपलोड करने के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्यालयों को ई-मेल भी करना सुनिश्चित करें। संलग्न-यथोपरि।
09. गार्ड पत्रावली हेतु।

I.T. need
upband and
main
4/7/20

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

24/7/2020
AM
02.07.20

शासनादेश संख्या-829/111(1)/20-01(14)/अधि0/14 दिनांक-22.06.2020 के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में सेवा पुस्तिका के आधार पर विवरण ।

(वर्ष-2010-11 से 2019-20 तक)

क. सं.	नाम	पदनाम	जन्मतिथि	पिता का नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	विभाग में प्रथम नियुक्ति		पदोन्नति का विवरण		सेवा पुस्तिका के आधार पर दण्डादेश/वसूली इत्यादि का विवरण			दण्डादेश विलोपित/पुनरीक्षित किया गया है			ट्रेप/अपराधिक कार्यवाही सम्बन्धी विवरण	सेवाकाल में प्रशंसा पत्र इत्यादि का विवरण	टिप्पणी
						नियुक्ति की तिथि	पदनाम	प्रदोन्नति का पद	पदोन्नति की तिथि	प्रकरण	दण्डादेश/वसूली का प्रकार	दण्डादेश का सन्दर्भ	प्रकरण	विलोपित (यदि पुनरीक्षित हो तो उसका प्रकार)	विलोपित/पुनरीक्षण का सन्दर्भ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

प्रमाण पत्र:-

1. प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय में 50 वर्ष से अधिक आयु का कोई कार्मिक उपरोक्त सूचना में अंकित होने से नहीं रहा गया है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराई जा रही सूचना चैक कर लिया गया है, जो सही है।

हस्ताक्षर
नाम/पदनाम कार्यालयाध्यक्ष

प्रारूप-02

शासनादेश संख्या-829/111(1)/20-01(14)/अधि0/14 दिनांक-22.06.2020 के अनुसार वर्ष-2009 से 2019 तक की सी0सी0ए0 रुल्स के अन्तर्गत प्रचलित जॉबों की सूचना के सम्बन्ध में

(वर्ष-2010-11 से 2019-20 तक)

क. सं.	नाम	पदनाम	जन्मतिथि	पिता का नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	सी0सी0ए0 रुल्स के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का विवरण			सी0सी0ए0 रुल्स के अन्तर्गत दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन का विवरण			वर्तमान में सी0सी0ए0 रुल्स के अन्तर्गत गतिमान कार्यवाही का विवरण		टिप्पणी
						प्रकरण	सन्दर्भ	दण्डादेश/वसूली का प्रकार	प्रत्यावेदन देने की तिथि	प्रकरण	प्रत्यावेदन पर लिया गया निर्णय	प्रकरण	सन्दर्भ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

प्रमाण पत्र:-

1. प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय में 50 वर्ष से अधिक आयु का कोई कार्मिक उपरोक्त सूचना में अंकित होने से नहीं रहा गया है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराई जा रही सूचना चैक कर लिया गया है, जो सही है।

हस्ताक्षर
नाम/पदनाम कार्यालयाध्यक्ष

प्रारूप-03

शासनादेश संख्या-829/111(1)/20-01(14)/अधि0/14 दिनांक-20.06.2020 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्याओं का सार (वर्ष-2009-10 से 2019-20 तक)

क. सं.	नाम	पदनाम	जन्मतिथि	पिता का नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	श्रेणी का वर्ष					प्रतिकूल अभ्युक्ति			अपेक्षित अपूर्ण प्रविष्टि	टिप्पणी
						उत्कृष्ट	अतिउत्तम	उत्तम	अच्छा/सन्तोषजनक	खराब/सत्यनिष्ठा सेकी गयी	वर्ष	संस्मृति की तिथि	प्रत्यावेदन निस्तारण की तिथि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

प्रमाण पत्र:-

1. प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय में 50 वर्ष से अधिक आयु का कोई कार्मिक उपरोक्त सूचना में अंकित होने से नहीं रहा गया है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराई जा रही सूचना चैक कर लिया गया है, जो सही है।

हस्ताक्षर
नाम/पदनाम कार्यालयाध्यक्ष

प्रारूप-04

शासनादेश संख्या-829/111(1)/20-01(14)/अधि0/14 दिनांक-22.06.2020 के अनुसार 10वर्षों में लिये गये अवकाशों/अनुपस्थिति का विवरण (वर्ष-2010-11 से 2019-20 तक)

क. सं.	नाम	पदनाम	जन्मतिथि	पिता का नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	अवकाश का प्रकार/अनुपस्थिति	अवकाश/अनुपस्थिति की अवधि (कैलेंडर वर्ष वार)										टिप्पणी
							2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

प्रमाण पत्र:-

1. प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय में 50 वर्ष से अधिक आयु का कोई कार्मिक उपरोक्त सूचना में अंकित होने से नहीं रहा गया है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराई जा रही सूचना चैक कर लिया गया है, जो सही है।

Amo

हस्ताक्षर
नाम/पदनाम कार्यालयाध्यक्ष



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

Web- <http://govt.ua.nic.in/pwd> E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रसंख्या-1327/82व्यक-सा0/2020

दिनांक 02/07/2020

-:कार्यालय ज्ञाप:-

शासकीय पत्रसंख्या-829/111(1)/20-01(14)/अधि0/14 दिनांक-22.06.2020 के माध्यम से प्राप्त मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या-51/XXX(21)/2020/55(21)/2001 दिनांक 05.05.2020 द्वारा उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवा संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर सरकारी सेवकों के अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके अन्तर्गत विभागाध्यक्ष स्तर पर स्कीनिंग कमेटी गठित करते हुये स्कीनिंग कमेटी की कार्यवाही प्रतिवर्ष माह-नवम्बर तक सम्पन्न कराने एवं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष 15 जनवरी तक अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश पारित करते हुये अनिवार्य सेवानिवृत्ति सम्बन्धी निर्णयों की सूचना शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

शासन द्वारा उपरोक्त दिये गये निर्देशों के अनुपालन में 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके ऐसे कार्मिक जिनके नियुक्ति अधिकारी विभागाध्यक्ष से भिन्न अर्थात् मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता है, की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु निम्नवत् स्कीनिंग कमेटी का गठन किया जाता है:-

- | | |
|--|--------------|
| 01. सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग | अध्यक्ष |
| 02. सम्बन्धित वृत्तीय अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग | सदस्य |
| 03. सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालय के स्टॉफ आफिसर | सदस्य/संयोजक |

हृ
(हरिओम शर्मा)

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02. मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान), लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
03. समस्त मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग को शासकीय पत्र दिनांक-22.06.2020 की तत्संलग्न शासनादेश दिनांक-05.05.2020 की प्रति संलग्न कर कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिन कार्मिकों के नियुक्ति प्राधिकारी प्रमुख अभियन्ता से भिन्न अर्थात् मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता है, के संबंध में ऐसे कार्मिक जिनकी आयु 50 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में शासनादेश में उल्लिखित मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप अपने स्तर से निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करते हुये इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
संलग्न-यथोपरि (प्रारूप-01 से 04 तक सहित)
04. वरिष्ठ स्टॉफ आफिसर-प्रथम (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
05. अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
06. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।
07. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0 सैल), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को शासकीय पत्र दिनांक-22.06.2020 की प्रति मय संलग्नकों से संलग्न करते हुये निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत ज्ञाप एवं उक्त शासनादेश एवं संलग्नकों को तथा प्रारूप 01 से 04 तक को लोक निर्माण विभाग की वेबसाईड पर अपलोड करने के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्यालयों को ई-मेल भी करना सुनिश्चित करें। संलग्न-यथोपरि।
08. प्रशासनिक/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, व्यवस्थापन-ख/ग/घ एवं वर्कचार्ज वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
09. गार्ड फ़ावली हेतु।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

हृ
02.07.20

IT head
upward & down
4/7/20

शासनादेश संख्या-829 / 111(1)/20-01(14) / अधि0 / 14 दिनांक-22.06.2020 के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में सेवा पुस्तिका के आधार पर विवरण ।

(वर्ष-2010-11 से 2019-20 तक)

क. सं.	नाम	पदनाम	जन्मतिथि	पिता का नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	विभाग में प्रथम नियुक्ति		पदोन्नति का विवरण		सेवा पुस्तिका के आधार पर दण्डादेश/वसूली इत्यादि का विवरण			दण्डादेश विलोपित/पुनरीक्षित किया गया है			ट्रेप/अपराधिक कार्यवाही सम्बन्धी विवरण	सेवाकाल में प्रशंसा पत्र इत्यादि का विवरण	टिप्पणी
						नियुक्ति की तिथि	पदनाम	प्रदोन्नति का पद	पदोन्नति की तिथि	प्रकरण	दण्डादेश/वसूली का प्रकार	दण्डादेश का सन्दर्भ	प्रकरण	विलोपित (यदि पुनरीक्षित हो तो उसका प्रकार)	विलोपित/पुनरीक्षण का सन्दर्भ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

प्रमाण पत्र:-

1. प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय में 50 वर्ष से अधिक आयु का कोई कर्मिक उपरोक्त सूचना में अंकित होने से नहीं रहा गया है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराई जा रही सूचना चैक कर लिया गया है, जो सही है।

हस्ताक्षर
नाम/पदनाम कार्यालयाध्यक्ष

प्रारूप-02

शासनादेश संख्या-829 / 111(1)/20-01(14) / अधि0 / 14 दिनांक-22.06.2020 के अनुसार वर्ष-2009 से 2019 तक की सी0सी0ए0 रुल्स के अन्तर्गत प्रचलित जॉबों की सूचना के सम्बन्ध में

(वर्ष-2010-11 से 2019-20 तक)

क. सं.	नाम	पदनाम	जन्मतिथि	पिता का नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	सी0सी0ए0 रुल्स के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का विवरण			सी0सी0ए0 रुल्स के अन्तर्गत दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन का विवरण			वर्तमान में सी0सी0ए0 रुल्स के अन्तर्गत गतिमान कार्यवाही का विवरण		टिप्पणी
						प्रकरण	सन्दर्भ	दण्डादेश/वसूली का प्रकार	प्रत्यावेदन देने की तिथि	प्रकरण	प्रत्यावेदन पर लिया गया निर्णय	प्रकरण	सन्दर्भ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

प्रमाण पत्र:-

1. प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय में 50 वर्ष से अधिक आयु का कोई कर्मिक उपरोक्त सूचना में अंकित होने से नहीं रहा गया है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराई जा रही सूचना चैक कर लिया गया है, जो सही है।

हस्ताक्षर
नाम/पदनाम कार्यालयाध्यक्ष

प्रारूप-03

शासनादेश संख्या-829/111(1)/20-01(14)/अधि0/14 दिनांक-20.06.2020 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्याओं का सार (वर्ष-2009-10 से 2019-20 तक)

क. सं.	नाम	पदनाम	जन्मतिथि	पिता का नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	श्रेणी का वर्ष					प्रतिकूल अभिवृत्ति			अपेक्षित अपूर्ण प्रविष्टि	टिप्पणी
						उत्कृष्ट	अतिउत्तम	उत्तम	अच्छा/सन्तोष जनक	खराब/सत्यनिष्ठा सेकी गयी	वर्ष	संसूचना की तिथि	प्रत्यावेदन निस्तारण की तिथि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

प्रमाण पत्र:-

1. प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय में 50 वर्ष से अधिक आयु का कोई कर्मिक उपरोक्त सूचना में अंकित होने से नहीं रहा गया है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराई जा रही सूचना चैक कर लिया गया है, जो सही है।

हस्ताक्षर
नाम/पदानाम कार्यालयाध्यक्ष

प्रारूप-04

शासनादेश संख्या-829/111(1)/20-01(14)/अधि0/14 दिनांक-22.06.2020 के अनुसार 10वर्षों में लिये गये अवकाशों/अनुपस्थिति का विवरण (वर्ष-2010-11 से 2019-20 तक)

क. सं.	नाम	पदनाम	जन्मतिथि	पिता का नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	अवकाश का प्रकार/अनुपस्थिति	अवकाश/अनुपस्थिति की अवधि (कैलेंडर वर्ष वार)										टिप्पणी
							2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

प्रमाण पत्र:-

1. प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय में 50 वर्ष से अधिक आयु का कोई कर्मिक उपरोक्त सूचना में अंकित होने से नहीं रहा गया है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराई जा रही सूचना चैक कर लिया गया है, जो सही है।

Amo

हस्ताक्षर
नाम/पदानाम कार्यालयाध्यक्ष



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431 Web- http://govt.ua.nic.in/pwd E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रसंख्या-1328 / 82व्यक-सा0 / 2020

दिनांक 02/07/2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

शासकीय पत्रसंख्या-829/111(1)/20-01(14)/अधि0/14 दिनांक-22.06.2020 के माध्यम से प्राप्त मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या-51/XXX(21)/2020/55(21)/2001 दिनांक 05.05.2020 द्वारा उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवा संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर सरकारी सेवकों के अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके अन्तर्गत विभागाध्यक्ष स्तर पर स्कीनिंग कमेटी गठित करते हुये स्कीनिंग कमेटी की कार्यवाही प्रतिवर्ष माह-नवम्बर तक सम्पन्न कराने एवं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष 15 जनवरी तक अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश पारित करते हुये अनिवार्य सेवानिवृत्ति सम्बन्धी निर्णयों की सूचना शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

शासन द्वारा उपरोक्त दिये गये निर्देशों के अनुपालन में 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके ऐसे कार्मिक जिनके नियुक्ति अधिकारी राज्यपाल से भिन्न अर्थात् प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष हैं, की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु निम्नवत् स्कीनिंग कमेटी का गठन किया जाता है:-

01. मुख्य अभियन्ता स्तर-I, विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून।
02. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
03. मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

ह0

(हरिओम शर्मा)

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02. मुख्य अभियन्ता स्तर-I, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
03. मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान), लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
04. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
05. वरिष्ठ स्टॉफ आफिसर-प्रथम (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
06. समस्त मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग को शासकीय पत्र दिनांक-22.06.2020 की तत्संलग्न शासनादेश दिनांक-05.05.2020 की प्रति संलग्न कर कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिन कार्मिकों के नियुक्ति प्राधिकारी प्रमुख अभियन्ता हैं, के संबंध में ऐसे कार्मिक जिनकी आयु 50 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में शासनादेश में उल्लिखित मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप अपनी सुविचारित आख्या स्पष्ट मन्तव्य सहित संलग्न निर्धारित प्रारूपों (प्रारूप 01 से 04 तक) में इस कार्यालय के सम्बन्धित वर्गों (यथा:-व्यवस्थापन-ख वर्ग में मुख्य अभियन्ता संवर्ग मिनिस्ट्रियल कार्मिक, व्यवस्थापन-घ वर्ग कनिष्ठ अभियन्ता/मानचित्रकार) के अनुसार संकलित सूचना संलग्न प्रारूपों में सम्बन्धित वर्गों को पृथक-पृथक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संलग्न-यथोपरि।
07. अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
08. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित। संलग्न-यथोपरि।
09. प्रशासनिक/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, व्यवस्थापन-ख/ग/घ एवं वर्कचार्ज वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को शासकीय पत्र दिनांक-22.06.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु। संलग्न-यथोपरि।
10. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0 सैल), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को शासकीय पत्र दिनांक-22.06.2020 की प्रति मय संलग्नकों से संलग्न करते हुये निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत ज्ञाप एवं उक्त शासनादेश एवं संलग्नकों को तथा प्रारूप 01 से 04 तक को लोक निर्माण विभाग की वेबसाईड पर अपलोड करने के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्यालयों को ई-मेल भी करना सुनिश्चित करें। संलग्न-यथोपरि।
11. गार्ड पत्रावली हेतु।

I.T. handed
upload and mail
27/7/20

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

27/7/2020
27/07/20

शासनादेश संख्या-829/111(1)/20-01(14)/अधि0/14 दिनांक-22.06.2020 के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में सेवा पुस्तिका के आधार पर विवरण।

(वर्ष-2010-11 से 2019-20 तक)

क्र. सं.	नाम	पदनाम	जन्मतिथि	पिता का नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	विभाग में प्रथम नियुक्ति		पदोन्नति का विवरण		सेवा पुस्तिका के आधार पर दण्डादेश/वसूली इत्यादि का विवरण			दण्डादेश विलोपित/पुनरीक्षित किया गया है		ट्रेप/अपराधिक कार्यवाही सम्बन्धी विवरण	सेवाकाल में प्रशंसा पत्र इत्यादि का विवरण	टिप्पणी	
						नियुक्ति की तिथि	पदनाम	प्रदोन्नति का पद	पदोन्नति की तिथि	प्रकरण	दण्डादेश/वसूली का प्रकार	दण्डादेश का सन्दर्भ	प्रकरण	विलोपित (यदि पुनरीक्षित हो तो उसका प्रकार)				विलोपित/पुनरीक्षण का सन्दर्भ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

प्रमाण पत्र:-

1. प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय में 50 वर्ष से अधिक आयु का कोई कार्मिक उपरोक्त सूचना में अंकित होने से नहीं रहा गया है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराई जा रही सूचना चैक कर लिया गया है, जो सही है।

हस्ताक्षर
नाम/पदनाम कार्यालयाध्यक्ष

प्रारूप-02

शासनादेश संख्या-829/111(1)/20-01(14)/अधि0/14 दिनांक-22.06.2020 के अनुसार वर्ष-2009 से 2019 तक की सी0सी0ए0 रुल्स के अन्तर्गत प्रचलित जॉबों की सूचना के सम्बन्ध में

(वर्ष-2010-11 से 2019-20 तक)

क. सं.	नाम	पदनाम	जन्मतिथि	पिता का नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	सी0सी0ए0 रुल्स के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का विवरण			सी0सी0ए0 रुल्स के अन्तर्गत दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन का विवरण			वर्तमान में सी0सी0ए0 रुल्स के अन्तर्गत गतिमान कार्यवाही का विवरण		टिप्पणी
						प्रकरण	सन्दर्भ	दण्डादेश/वसूली का प्रकार	प्रत्यावेदन देने की तिथि	प्रकरण	प्रत्यावेदन पर लिया गया निर्णय	प्रकरण	सन्दर्भ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

प्रमाण पत्र:-

1. प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय में 50 वर्ष से अधिक आयु का कोई कार्मिक उपरोक्त सूचना में अंकित होने से नहीं रहा गया है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराई जा रही सूचना चैक कर लिया गया है, जो सही है।

हस्ताक्षर
नाम/पदनाम कार्यालयाध्यक्ष

प्रारूप-03

शासनादेश संख्या-829/111(1)/20-01(14)/अधि0/14 दिनांक-20.06.2020 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्याओं का सार (वर्ष-2009-10 से 2019-20 तक)

क्र. सं.	नाम	पदनाम	जन्मतिथि	पिता का नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	श्रेणी का वर्ष					प्रतिकूल अभ्युक्ति			अपेक्षित अपूर्ण प्रविष्टि	टिप्पणी
						उत्कृष्ट	अतिउत्तम	उत्तम	अच्छा/सन्तोषजनक	खराब/सत्यनिष्ठा सेकी गयी	वर्ष	संस्चना की तिथि	प्रत्यावेदन निस्तारण की तिथि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

प्रमाण पत्र:-

1. प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय में 50 वर्ष से अधिक आयु का कोई कार्मिक उपरोक्त सूचना में अंकित होने से नहीं रहा गया है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराई जा रही सूचना चैक कर लिया गया है, जो सही है।

हस्ताक्षर
नाम/पदानाम कार्यालयाध्यक्ष

प्रारूप-04

शासनादेश संख्या-829/111(1)/20-01(14)/अधि0/14 दिनांक-22.06.2020 के अनुसार 10वर्षों में लिये गये अवकाशों/अनुपस्थिति का विवरण (वर्ष-2010-11 से 2019-20 तक)

क्र. सं.	नाम	पदनाम	जन्मतिथि	पिता का नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	अवकाश का प्रकार/अनुपस्थिति	अवकाश/अनुपस्थिति की अवधि (कलेंडर वर्ष वार)										टिप्पणी
							2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

प्रमाण पत्र:-

1. प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय में 50 वर्ष से अधिक आयु का कोई कार्मिक उपरोक्त सूचना में अंकित होने से नहीं रहा गया है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराई जा रही सूचना चैक कर लिया गया है, जो सही है।

हस्ताक्षर
नाम/पदानाम कार्यालयाध्यक्ष